दिनांक २७-३-१९८८ को १२ बजे पूर्वाह्न में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय में हुई बोर्ड मुख्यालय में हुई बोर्ड की ३४वीं साधारण बैठक की कार्यवाही -

---

सदस्यों की उपस्थिति -

(१) श्री महेन्द्र नारायण यादव,
राज्य मंत्री, पथ निर्माण विभाग - - अध्यक्ष

(२) श्री धर्मवीर सिंह - सदस्य

(३) श्री तारक नाथ शर्मा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य

विशेष आमंत्रण पर उपस्थित -

(१) श्री जटाधर मिश्र, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी।

- का र्य वा ही -

बोर्ड की उपर्युक्त बैठक के लिए पूर्व से निर्धारित समय यथा १२ बजे पूर्वाह्न में बोर्ड के अध्यक्ष सहित उपर्युक्त सदस्य बोर्ड बैठक में उपस्थित हुए। परन्तु उक्त बैठक में क्रमशः उद्योग विभाग, वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग के पदेन एवं शासकीय सदस्य के निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रहने के कारण बैठक की कार्यवाही निर्धारित समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। फलस्वरूप सर्वप्रथम बोर्ड के प्रशासी विभाग अर्थात् उद्योग विभाग के सचिव सह आयुक्त कोषांग में दूरभाष के द्वारा बैठक प्रारम्भ होने की सूचना देते हुए यह पूछा की गई कि उद्योग विभाग के कौन पदाधिकारी उक्त बैठक में भाग लेने हेतु आ रहे हैं। इसपर उक्त कोषांग द्वारा दूसरे दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करने का निदेश दिया गया। जब उक्त दूरभाष पर इस विषय पर जानकारी मांगी गई तो यह सूचना प्राप्त हुई कि उद्योग विभाग की ओर से उक्त बैठक में विभाग के उप सचिव श्री प्राण मोहन ठाकुर बोर्ड बैठक में भाग लेने हेतु विभाग से प्रस्थान कर चुके हैं। उनकी प्रतीक्षा में बोर्ड बैठक की कार्यवाही लगभग १-२५ मिनट तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी। जब उद्योग विभाग के उक्त पदाधिकारी उक्त बैठक में भाग लेने हेतु उपस्थित नहीं हो सके तो बोर्ड बैठक की कार्यवाही तदनुसार प्रारम्भ कर दी गई।

गत बैठक में लिए गए निर्णयों को सम्पुष्टि करना - सम्पुष्टि की गई।

-२

28/3/88

4-4-88

(२) गत बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा -	समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन में जिन निर्णयों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख संबंधित पदाधिकारियों से कार्यान्वयन प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सका है, उन पदाधिकारियों को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर से पूर्व में लिए गए निर्णयों को त्वरित गति से कार्यान्वित करते हुए तदनुसार कार्यान्वयन प्रतिवेदन अधिक-से अधिक एक पक्ष के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया जाए ताकि कार्यान्वयन प्रतिवेदन को आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके ।
(३) स्वाधीनता दिवस के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में बोर्ड द्वारा संचालित भवनों एवं विभागीय उत्पादन सह बिक्री केन्द्रों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के निमित्त कार्यशील पूंजी मद में बोर्ड के निम्नलिखित केन्द्रों को बोर्ड में उपलब्ध राशि से कुल ४०-०० लाख रुपया (चालीस लाख रुपया) का राशि का आवंटन करने के संबंध में-	उक्त प्रस्ताव को बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी द्वारा वापस लेने की अनुशंसा के आधार पर अस्वीकृत किया जाय।
(४) बोर्ड के पदाधिकारियों।कर्मचारियों की भारी कमी के कारण बोर्ड द्वारा वर्त्तमान में संचालित १७(सतरह) जिला कार्यालय को बन्द करते हुए मात्र पुराने चार प्रमण्डलीय मुख्यालय में बोर्ड का जिला कार्यालय संचालित रखने की स्वीकृति के संबंध में-	स्थगित। परन्तु विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस परिपेक्ष्य में बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य श्री धर्मवीर सिंह अपनी सुविधानुसार [illegible] राज्य के माननीय उद्योग मंत्री से स्वतः मिलकर माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें उद्योग विभाग, बिहार, पटना के उच्च पदाधिकारी एवं बोर्ड के पदाधिकारी भी भाग लें, शीघ्र बुलाने का अनुरोध करें ताकि उक्त [illegible] विषय पर राज्य सरकार का भी समुचित निदेश।मार्गदर्शन प्राप्त हो सके ।

ह०
4.3.98

ह० 4/3/98

(५) बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प सं०-९६९फ०मो० दिनांक ४-११-९७ के अनुसार बोर्ड के ऐसे सेवकों को जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, वर्ष १९९६-९७ के लिए तदर्थ बोनस भुगतान करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति देना -

संलेख में अंकित प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई परन्तु राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर किया जायगा।

(६) बोर्ड के ऐसे सेवकों को जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-५८९७ दि०-३-१२-९७ के अनुसार दिनांक१-४-९५ से ३१-३-९७ तक की अवधि के लिए मूल वेतनमान का १० प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता के रुप में भुगतान करने की स्वीकृति देना -

संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

(७) बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प सं०-६३४३ वि०(२) दिनांक २४-१२-९७ के अनुसार बोर्ड के ऐसे सेवकों को जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है दिनांक १-७-९७ के प्रभाव से संशोधित दर से महंगाई भत्ता का भुगतान करने की स्वीकृति देना-

संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

(८) उपादान अधिनियम १९७२ में सितंबर १९९७ में हुए संशोधन के अनुसार बोर्ड के सेवकों को २,५०,०००।- (दो लाख पचास हजार) रुपये की अधिकतम सीमा तक सितम्बर, १९९७ से उपादान भुगतान की स्वीकृति देना-

संलेख में अंकित प्रस्ताव को बोर्ड की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार के उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृति हेतु भेजा जाए।

(९) बोर्ड के निर्णयानुसार बन्द किए गए विभागीय उत्पत्ति सह बिक्री केन्द्र, बरकट्ठा (हजारीबाग) की जमीन तथा मकान की बिक्री करने की स्वीकृति देने के संबंध में -

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के विभागीय उत्पत्ति सह बिक्री केन्द्र, बरकट्ठा (हजारीबाग) में बोर्ड की जमीन तथा उसपर निर्मित मकान की बिक्री निलामी की विहित प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में इस निमित्त निम्न रुप से गठित उप समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाये -

ह०/- ४.४.९८

[signature] ३/४/९८

[signature] ३/४/९८

उप समिति के सदस्य निम्नप्रकार होंगे:-

१) जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, हजारीबाग - सदस्य सह संयोजक।
२) खादी विकास पदा० - सदस्य।
३) महाप्रबन्धक, जि०उ०केन्द्र, हजारीबाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य।
४) उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी-सदस्य।

(१०) क्षेत्रीय कुम्भकारी प्रशिक्षण विद्यालय, सारामोहनपुर, दरभंगा के प्रांगण में सामुदायिक विकास भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में -

इस प्रस्ताव के सम्बन्धमें यह निर्णय लिया गया कि यदि उप विकास आयुक्त, दरभंगा बाजार दर पर उक्त जमीन के कीमत का भुगतान कर उस जमीन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो बोर्ड वैसी स्थिति में उसके विधिवत हस्तान्तरण पर विचार करते हुए निर्णय ले सकेगा।

(११) बोर्ड द्वारा संचालित अलाभकर बिक्री केन्द्र, उत्पत्ति सह बिक्री केन्द्र तथा केन्द्रीय वस्त्रागार को बन्द करने को स्वीकृति हेतु-

संलेख में अंकित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

(१२) बोर्ड कार्यालय के प्रस्थापना शाखा के सेवा-निवृत्त सहायक, श्री जादोश दास से मानदेय के आधार पर कार्य लेने के संबंध में -

प्रस्ताव अस्वीकृत।

(१३) बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय केन्द्रों के कर्मचारियों को जिनका स्थापना खर्च, केन्द्र के लाभ हानि खाता से देय है, के सेवा-निवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए निधि उपलब्धि के स्रोत पर विचार-

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के सभी विभागीय केन्द्रों के लेखा-जोखा एवं बोर्ड के लेखा जोखा की सम्यक् जाँच। मिलानी बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदा० एक अंकेक्षण पदाधिकारी से जाँच कराते हुए यह प्रतिवेदन एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत तुरत बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें कि वस्तुत: बोर्ड के विभागीय केन्द्रों की कितनी राशि बोर्ड के पास एवं बोर्ड की कितनी राशि विभागीय केन्द्रों के पास बकाया के रूप में लंबित है तथा विभागीय केन्द्रों की कितनी राशि सरकार के विभिन्न विभागों में कितनी राशि सरकार के विभिन्न विभागों में उधार आपूर्ति किए गए वस्त्रों के बकाये कीमत

N०४०
8-8-8c

[signature] 8/5/58

	कीमत के रुप में वर्षों से लंबित है जिसकी वसूली अभी तक नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी, इस निमित्त एक विस्तृत लेखा जोखा तुरत तैयार कर बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित करें ताकि धनराशि के उपलब्धता के आधार पर भुगतान करने का निर्णय लेने पर विचार किया जा सके।
(१४) बोर्ड की ३४५वीं साधारण बैठक दिनांक २७-१०-९७ के प्रस्ताव। कार्यवाही की ६ कंडिका के १५(ख) के निर्णयानुसार लघु उद्योग विकास निगम पटना द्वारा क्रय किये गये स्टौक से पूर्व से उसी लौट में उपलब्ध मधु की गुणवत्ता की जांच सक्षम पदाधिकारी से उक्त निगम द्वारा वापस किये गये मधु के साथ कराने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(१५) श्री विनोद कुमार आर्य, टंकक सह लिपिक को अंशदायी भविष्य निधि से ४६,०००/-(छियालीस हजार) रु० की ननरिफन्डेबुल अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि श्री विनोद कुमार आर्य, प्रभारी प्रधान लिपिक सह लेखापाल द्वारा बोर्ड के विभिन्न जिला कार्यालयों एवं विभिन्न विभागीय केन्द्रों से नकद राशि के रुप में तथा उधार खादी वस्त्र के रुप में कितनी राशि प्राप्त कर चुके हैं इस सम्बन्ध में वांछित सूचना बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी त्वरित गति से प्राप्त करते हुए श्री आर्य से उक्त मद में कितनी राशि वसूलनीय है इसको सुनिश्चित करते हुए तदनुसार अपना प्रस्ताव बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार इसपर वांछित निर्णय लिया जा सके।
(१६) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग भवन, भागलपुर एवं जिला कार्यालय, भागलपुर के बेकार एवं अनुपयोगी सामानों को निलाम करते हुए बिक्री करने हेतु उप समिति गठित करने की स्वीकृति देने के संबंध में-	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति निम्न रुप से देते हुए यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर खादी भवन एवं भागलपुर जिला कार्यालय में बेकार एवं अनुपयोगी मशीन एवं औजार और जर्जर उपस्करों तथा बेकार कच्चा माल को बिक्री

निलामी को विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत करने हेतु निम्न रुप में एक उप समिति गठित की गई -

१) जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी - संयोजक सह सदस्य,
२) बिहार राज्य खादी ग्रामो०भवन, भागलपुर - सदस्य,
३) बोर्ड मुख्यालय के विकास शाखा के पदाधिकारी - सदस्य
४) बोर्ड मुख्यालय के ऋणदाण शाखा के पदाधिकारी - सदस्य,
५) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर द्वारा मनोनीत पदा०- सदस्य।

(१७) बोर्ड के योजना मद में कार्यरत कर्मचारी के वेतन भुगतान एवं सेवा-निवृत्ति लाभ देने के संबंध में-

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से योजना मद में प्राप्त एवं उपलब्ध राशि से योजना मद के सेवा-निवृत्ति कर्मचारी के या कार्यरत कर्मचारी के अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान के मद में अभी तक उनके वेतन से जितनी राशि की कटौती की जा चुकी है और जिसे अभी तक उनके बैंक लेखा में जमा नहीं किया जा सका है उस अंशदान की राशि को संबंधित सेवा-निवृत्त कर्मचारी को नकद भुगतान कर दिया जाये और कार्यरत कर्मचारी के बैंक लेखा में तुरत जमा कर दिया जाये।

(१८) ग्रामीण तेल उद्योग अन्तर्गत श्रीमती योग्यशीला सिंहा, रघुनाथ टोला, पो०अनिसाबाद, जिला-पटना को बोर्ड द्वारा ग्रामीण तेल उद्योग अन्तर्गत भुगतान की गई आर्थिक सहायता की राशि पर सूद माफ करने एवं अचल सम्पत्ति जो बोर्ड के नाम बंधकित की गई है उसकी बिक्री करने तथा मूलधन की राशि एवं सूद की राशि किस्त में जमा करने के संबंध में निर्णय लेना-

इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि उक्त ऋणी को ग्रामीण तेल उद्योग अन्तर्गत ऋण के मद में मो० ६०,२४४-३५(साठ हजार दो सौ चौवालीस रु०पैंतीस पैसा) विभिन्न तिथि पर बोर्ड से भुगतान किया जा चुका है उस राशि को यदि उक्त ऋणी द्वारा एक मुश्त बोर्ड के लेखा में जमा कर दिया जाता है तो उन्हें बोर्ड के पक्ष में बंधकित की गई जमीन की बिक्री करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि वे उक्त जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि को बोर्ड को सूद के मद में देय राशि के विरुद्ध तुरत जमा कर दें ताकि उसके आधार पर उनके विरुद्ध दायर सर्टिफिकेट के मुकदमा को वापस लिया जा सके।

(१९) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना-४ का सावधि जमा योजना (फिक्स्ड डिपोजिट) योजनान्तर्गत जमा की गई कुल राशि ५५,००,०००।-(पचपन लाख) रुपया को बोर्ड के लेखा में समायोजित करने के संबंध में -	इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि संलेख में अंकित वस्तुस्थिति से राज्य सरकार को अवगत कराया जाये एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को भी तुरत उक्त विषय से संबंधित लेखा-जोखा की जाँच एवं अंकेक्षण कराने का अनुरोध किया जाय ताकि इसमें संबंधित पदाधिकारी।कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जा सके ।
(२०) बोर्ड के बैंक लेखा परिचालन करने हेतु लेखा शाखा की ओर से पूर्व से प्राधिकृत प्रभारी सहायक लेखा पदाधिकारी (कृष्णा) के स्थान पर बोर्ड के मुख्य लेखा पदाधिकारी के अतिरिक्त श्री रामाश्रय चौधरी को प्राधिकृत करने के संबंध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई ।
(२१) राँची जिला कार्यालय में समाहित जिला कार्यालय, लोहरदग्गा एवं गुमला का लम्बित लेखा संबंधी कार्यों का मानदेय भुगतान के संबंध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(२२) बोर्ड की वित्तीय स्थिति की सूचना वर्ष १९९७-९८ -	सूचना प्राप्त की गई ।

अध्यक्ष की अनुमति से -

(१) बोर्ड के ऐसे सेवकों जिनका प्रस्थापन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, को वित्त विभाग के संकल्प १२५९ दिनांक ९-३-९८ के अनुसार दिनांक १-४-९७ के प्रभाव से मूल वेतन का मात्र १०(दस) प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता के रुप में भुगतान करने की स्वीकृति देना -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई परंतु बोर्ड के सेवा-निवृत्त कर्मचारी।पदाधिकारी को उक्त मद में देय राशि का भुगतान करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के सेवा-निवृत्त कर्मचारी। पदाधिकारी को उक्त मद में देय राशि की गणना तुरत कराते हुए उक्त राशि की माँग राज्य सरकार से तुरत किया जाए ताकि राज्य सरकार से धनराशि का आवंटन होने के साथ ही इस कोटि के पदाधिकारी।कर्मचारी को भी राशि का भुगतान करना संभव हो सके ।
(२) बोर्ड द्वारा संचालित वस्त्रागार एवं खादी भवन को आपूर्ति किये गये माल के कीमत का भुगतान करने के संबंध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि राज्य सरकार।खादी कमीशन से राज्य सरकार।केन्द्र सरकार की रिबेट के मद में बोर्ड मुख्यालय में वांछित धनराशि प्राप्त होते ही

28/3/98

	बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी उक्त विचलित की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हर हालत में सुनिश्चित करें।
) बोर्ड के लंबित वार्षिक लेखाओं को अद्यतन करने हेतु मानदेय पर सेवा-निवृत्त अंकेक्षण पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करने एवं वार्षिक लेखा तैयार करने के संबंध में विचार-	बोर्ड के सेवा-निवृत्त पदाधिकारी।कर्मचारी को मानदेय के मद में अनुमान्य राशि का भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। परन्तु इस परिप्रेक्ष्य में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड के विभागीय केन्द्रों के लेखा-जोखा का अद्यतन अंकेक्षण कराने हेतु बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी एक एक्शन प्लान बनाकर पूर्ण औचित्य के साथ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करें ताकि आवश्यकतानुसार उसे बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सके।
) खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कन्सोर्टियम बैंक एण्ड क्रेडिट नोट के अन्तर्गत प्राप्त ऋण का उपयोग एवं वितरित ऋण की वसूली बोर्ड बोर्ड द्वारा समय पर करने और खादी कमीशन को समय पर वापस करने के सम्बन्ध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(५) बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रीय वस्त्रागार को बन्द करने के संबंध में -	संलेख में अंकित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
(६) बोर्ड योजनान्तर्गत सेवा-निवृत्त कुल २४(चौबीस)कर्मचारियों को विभिन्न मदों में देय राशि का भुगतान राज्य सरकार से राज्य योजना मद में प्राप्त।उपलब्ध धनराशि से करने की स्वीकृति देने के संबंध में -	राशि के अभाव में उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।
(७) बोर्ड मुख्यालय के उपरी छत पर विज्ञापन के लिए बोर्ड।होर्डिंग लगाने हेतु सबसे उच्चतम निविदा। कोटेशन प्रतिवेदित करनेवाले फर्म को वार्षिक किराया पर कुल ५ (पाँच)वर्षों के पट्टा पर आवंटित करने के संबंध में -	विषयवस्तु पर सम्यक् चर्चा करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के कार्यहित में बोर्ड मुख्यालय के उपरी छत पर कुल ५० X २० फीट (पचास फीट X बीस फीट) के स्थान का आवंटन कुल २०,०००।-(बीस हजार) रुपया वार्षिक किराया पर ५(पाँच) वर्षों के लीज पर सबसे उच्चतम दर प्रतिवेदित करनेवाले प्रतिष्ठान मेसर्स मिथिला पब्लिसिटी गोविन्दमित्रा रोड(जनता होटल के पीछे), पटना को उनके निविदा दिनांक १०-३-९८ में निहित शर्तों पर किया जाए।

[signature] ५-८-९८

[signature] १०।३।९८

(८) श्री नलिनीकांत मिश्र, सेवा-निवृत्त जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामो० बोर्ड को उनके आवेदन-पत्र दिनांक ११-३-९८ में अंकित तथ्यों के आधार पर विशेष परिस्थिति में बोर्ड से सेवा-निवृत्ति के उपरान्त विभिन्न मदों में अनुमान्य एवं देय राशि के विरुद्ध वांछित राशि का भुगतान अग्रिम के रुप में करने की स्वीकृति देने के संबंध में -

इस विषय पर सम्यक् चर्चा के उपरान्त मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया गया कि श्री मिश्र को विशेष परिस्थिति में अनुमान्य एवं देय राशि के विरुद्ध मात्र २०,०००।- (बीस हजार) रुपया का भुगतान अग्रिम के रुप में देने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई कि यह निर्णय अन्य मामलों के लिये पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अ ध्य क्ष

ज्ञापांक पु० 696 पटना, दिनांक 6-8-१९९८ ई०।

प्रतिलिपि प्रेषित – सभी सदस्यगण, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक पु० 696 पटना, दिनांक 6-8-१९९८ ई०।

प्रतिलिपि प्रेषित – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई-५६ (२) निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य कार्यालय, पटना (३) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक पु० 696 पटना, दिनांक 6-8-१९९८ ई०।

प्रतिलिपि प्रेषित – अध्यक्ष, लोक उपक्रम ब्यूरो (वित्त विभाग), बिहार सरकार, पटना (२) सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांक पु० 696 पटना, दिनांक 6-8-१९९८ ई०।

प्रतिलिपि प्रेषित – उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (२) सभी विकास पदाधिकारी (३) सभी प्रशाखा पदाधिकारी (४) सभी सहायक लेखा पदाधिकारी (५) लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार कार्रवाई कर कार्यान्वयन की सूचना शीघ्र दें।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।